Australian Government

agriculture.gov.au/travelling

Australian Biosecurity

ऑस्ट्रेलिया में आने वाले क्रू (कर्मी दल) के लिए जैवसुरक्षा (बॉयोसिक्योरिटी) संबंधी जानकारी

इस बात से अवगत रहना महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलिया के कड़े जैवसुरक्षा कानून हैं जो क्रू सहित सभी यात्रियों पर लागू होते हैं। ऐसा ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट वन्यजीव और कृषि को कीट तथा रोगों से बचाने के लिए किया जाता है। घोषित करने में विफल रहने के फलस्वरूप उल्लंघन नोटिस जारी किया जा सकता है।

इससे पहले कि आप सामान पैक करें

कुछ उत्पाद ऑस्ट्रेलिया नहीं लाए जा सकते हैं, जबकि अन्य उत्पादों के लाए जाने की अनुमति तभी होती है यदि वे आयात शर्तों को पूरा करते हों। यदि आप खाद्य-पदार्थ, वनस्पति संबंधी सामग्री और पशु उत्पाद नहीं लाते हैं, और यदि लाया जाने वाला कोई भी उपकरण साफ़ है, तो जैवसुरक्षा मंज़ूरी (बॉयोसिक्योरिटी क्लीयरेंस) प्रक्रिया अधिक शीघ्र होती है। **agriculture.gov.au/bringing-goods** पर देखें कि आप क्या ला सकते हैं।

निम्नलिखित सामान साथ न लाएँ

खाद्य-पदार्थ

माँस, पोल्ट्री, सीफ़ूड, डेयरी, अंडे, घर पर पकाया या पैक किया भोजन, सैंडविच, फल और सब्जियाँ (जैसे कि मिर्ची,लहसुन), जहाज (शिप) से लिया भोजन, अनाज, चावल, बादाम आदि, बीज, फलियाँ और जड़ी-बूटियाँ तथा भोजन पकाने के मसाले या दवाईयाँ।

वनस्पति सामग्री

पत्ते, बीज, छाल, फूल, जीवित पौधे, कलमें और घास पात।

साफ़ करें और घोषित करें

लकड़ी की वस्तुएँ, पशु उत्पाद (पंख, हड्डी, बाल या खाल), ऐसे जूते, कपड़े या उपकरण जिनपर मिट्टी लगी हो या जिनका प्रयोग जानवरों के नजदीक या ग्रामीण या जंगली इलाकों में किया गया हो।

सुनिश्चित करें कि सभी उपकरण अच्छे से साफ किए गए हैं ताकि इनमें से निम्नलिखित को हटाया जाए:

- मिट्टी, कीचड़ या चिकनी मिट्टी
- पशु या मल पदार्थ
- वनस्पति सामग्री जैसे कि घास-पात, टहनियाँ, पत्तियाँ, जड़ें, छाल या बीज।

यह ज़रूरी है कि फ्रेशवॉटर लेक (झीलों) या नदियों में प्रयोग किए गए उपकरण:

- साफ हों और शैवाल के दिखाई देने वाले गुच्छों से मुक्त हों
- पूरी तरह से सूखे हुए हों।

ऑस्ट्रेलिया को अवांछित कीट और रोगों से सुरक्षित करें

ऑस्ट्रेलिया विश्वभर में पाए जाने वाले कई कीटों और रोगों से मुक्त है, इनमें अफ़्रीकी स्वाइन फ़ीवर (ASF) और फुट-एंड-माउथ डिसीज़ (FMD) शामिल हैं। इन रोगों का प्रकोप ऑस्ट्रेलिया के लाइवस्टॉक (पशुधन) उद्योग, व्यापार और अर्थ-व्यवस्था को तबाह कर सकता है।

ये रोग ASF या FMD वायरस से संक्रमित मीट और डेयरी उत्पादों के आयात के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर सकते हैं। यह वायरस दूषित जूतों, कपड़ों या उपकरण के माध्यम से भी आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया को सुरक्षित रखने में हर किसी को भूमिका निभानी है। सुनिश्चित करें कि आप इन जैवसुरक्षा खतरों को ऑस्ट्रेलिया न लाएँ।

इससे पहले कि आप ऑस्ट्रेलिया आएँ

अपना क्रू डिक्लेरेशन भरें। कानून के अनुसार, आपको किसी ऐसे माल-सामान की घोषणा करनी होगी जो जैवसुरक्षा ख़तरा पेश कर सकता है जैसे कि कुछ निश्चित तरह के खाद्य-पदार्थ, वनस्पति सामग्री और पशु उत्पाद। इसमें छोटी मात्रा में खाना और स्नैक भी शामिल हैं। यदि आप सभी माल-सामान को घोषित और प्रस्तुत करते/ती हैं तो *बॉयोसिक्योरिटी एक्ट 2015 (जैवसुरक्षा अधिनियम 2015)* के अधीन आपको दंडित नहीं किया जाएगा, भले ही इन वस्तुओं को ऑस्ट्रेलिया लाए जाने की अनुमति न हो। ये नियम ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने के लिए सीधे एयरपोर्ट की यात्रा करने वाले क्रू पर भी लागू होते हैं। याद रखें, क्रूज़ शिप से भोजन बाहर न लेकर जाएँ।

यदि आप ख़तरे वाले माल-सामान की घोषणा नहीं करते/ती हैं तो क्या होता है?

यदि आप घोषणा करने में विफल रहते/ती हैं, या झूठी घोषणा करते/ती हैं, तो आपको उल्लंघन नोटिस जारी किया जा सकता है।

और अधिक जानने के लिए स्कैन करें

जिस माल-सामान की आप घोषणा करते/ती हैं, उसके साथ क्या होता है?

बॉयोसिक्योरिटी अधिकारी आपके माल-सामान की जाँच करेगा और वह अधिक जानकारी या दस्तावेज़ प्रदान किए जाने की माँग कर सकते हैं। यदि सामान कम ख़तरे वाले हैं, तो वे आपको वापस कर दिए जाएँगे। यदि माल-सामान उच्च ख़तरे वाले हैं, तो हो सकता है कि माल-सामान को संसाधित (ट्रीट) करने, ऑस्ट्रेलिया से निर्यात किए जाने या आपके खर्चे पर नष्ट किए जाने की ज़रूरत पड़े। यदि आवश्यक हुआ तो बॉयोसिक्योरिटी अधिकारी आपके माल-सामान के लिए विकल्पों के बारे में आपको सलाह देगा।

जिन वस्तुओं की पहचान इन्हें संसाधित (ट्रीट) किए जाने के तौर पर की जाती है, उनके लिए संसाधन (ट्रीटमेंट) फीस लागू होती है और इसे उस वस्तु को लाए जाने वाले व्यक्ति से लिया जाता है। फ़ीस तथा शुल्कों के बारे में अधिक विवरण **agriculture.gov.au/charging-guidelines** पर पाए जा सकते हैं।

यदि अपने आगमन करने के पश्चात आपको किसी जैवसुरक्षा ख़तरे का पता लगता है तो क्या करें

यदि ऑस्ट्रेलिया में आगमन करने के बाद अपने बैग खोलते समय आपको जीवित पशु, कीट-कीड़े, मिट्टी, वनस्पति सामग्री या ख़तरे की अन्य वस्तुओं का पता चलता है, तो 1800 798 636 पर फ़ोन करें। आपको दंडित नहीं किया जाएगा।

और अधिक जानकारी

विशिष्ट आयात शर्तों या दस्तावेज़ी आवश्यकताओं के लिए, **agriculture.gov.au/bicon** पर बॉयोसिक्योरिटी इमपोर्ट कंडीशन्स सिस्टम देखें(BICON) या **imports@agriculture.gov.au** पर ई-मेल करें।

BIO076.0623